

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के तहत आय की परवाह किए बिना 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज को मंजूरी दी

4.5 करोड़ परिवारों को होगा फायदा

प्रविष्टि तिथि: 11 SEP 2024 8:08PM by PIB Delhi

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रमुख योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के तहत आय की परवाह किए बिना 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज को मंजूरी दे दी है।

इसका लक्ष्य छह (6) करोड़ वरिष्ठ नागरिकों वाले लगभग 4.5 करोड़ परिवारों को पारिवारिक आधार पर 5 लाख रुपये के मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर से लाभान्वित करना है।

इस मंजूरी के साथ, 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिक, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, एबी पीएम-जेएवाई का लाभ उठाने के पात्र होंगे। पात्र वरिष्ठ नागरिकों को एबी पीएम-जेएवाई के तहत नया विशिष्ट कार्ड जारी किया जाएगा। एबी पीएम-जेएवाई के तहत पहले से ही कवर किए गए परिवारों के 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को अपने लिए प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का अतिरिक्त टॉप-अप कवर मिलेगा (जिसे उन्हें परिवार के ऐसे अन्य सदस्यों के साथ साझा नहीं करना होगा जो 70 वर्ष से कम आयु के हैं)। 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के अन्य सभी वरिष्ठ नागरिकों को पारिवारिक आधार पर प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का कवर मिलेगा। 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक जो पहले से ही केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस), पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस), आयुष्मान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) जैसी अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, वे अपनी मौजूदा योजना चुन सकते हैं या एबी पीएम-जेएवाई का विकल्प चुन सकते हैं। यह स्पष्ट किया गया है कि 70 वर्ष और उससे अधिक के वरिष्ठ नागरिक जो निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत हैं, वे एबी पीएम-जेएवाई के तहत लाभ लेने के पात्र होंगे।

एबी पीएम-जेएवाई दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है जो 12.34 करोड़ परिवारों के 55 करोड़ व्यक्तियों को माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपये प्रति वर्ष स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। पात्र परिवारों के सभी सदस्यों को, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस योजना में 49 प्रतिशत महिला लाभार्थियों सहित 7.37 करोड़ लाभार्थियों ने अस्पताल में भर्ती होकर उपचार कराया है। जनता को इस योजना के तहत 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का फायदा हुआ है।

70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कवर के विस्तार की घोषणा पहले अप्रैल 2024 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने की थी।

एबी पीएम-जेएवाई योजना में लाभार्थी आधार का निरंतर विस्तार देखा गया है। प्रारंभ में, इस योजना के तहत भारत की निचली 40% आबादी वाले 10.74 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों को शामिल किया गया था। बाद में, भारत सरकार ने 2011 की जनसंख्या की तुलना में भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि 11.7% को

देखते हुए जनवरी 2022 में एबी पीएम-जेएवाई के तहत लाभार्थी आधार को 10.74 करोड़ से संशोधित कर 12 करोड़ परिवारों तक कर दिया।

देश भर में काम करने वाली 37 लाख आशा/आंगनवाडी कार्यकर्ता/आंगनवाडी कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल लाभ प्रदान करने के लिए इस योजना का और विस्तार किया गया। मिशन को आगे बढ़ाते हुए, एबी पीएम-जेएवाई अब देश भर में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के सभी नागरिकों को 5 लाख रुपये की मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल कवरेज प्रदान करेगी।

एमजी/एआर/पीके/एसएस

(रिलीज़ आईडी: 2053919) आगंतुक पटल : 337

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , Marathi , Telugu , Kannada , Malayalam